संख्याः ।।9। /79–6–2010

प्रेषक,

अनिल संत,
सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांकः 12 अगस्त, 2010

विषयः–प्रदेश के राजकीय/स्थानीय निकाय/शासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों तथा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के रूप में उच्चीकृत शासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा–1 से 5 एवं 6 से 8 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

अद्यावधि प्रदेश के राजकीय/स्थानीय निकाय/शासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों तथा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के रूप में उच्चीकृत शासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा–1 से 5 एवं 6 से 8 में अध्ययनरत् विद्यार्थी मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के राजकीय/स्थानीय निकाय/शासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों तथा हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के रूप में उच्चीकृत शासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा–1 से 5 एवं 6 से 8 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाय तथा उन्हें भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय दिवसों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाय।

इन विद्यालयों में योजना के संचालन हेतु मध्यान्ह भोजन निधि के नाम से पृथक से एक संयुक्त खाता खोला जायेगा। राजकीय विद्यालयों तथा स्थानीय निकाय के विद्यालयों में यह खाता संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा अध्यापक–अभिभावक एशोसिएशन के अध्यक्ष के संयुक्त नाम से खोला जायेगा तथा तद्नुसार संयुक्त हस्ताक्षर से ही संचालित किया जायेगा। इस प्रकार नामित दोनों ही व्यक्ति अपने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत को प्राप्त करने एवं छात्रों को गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के निर्धारित अभिलेखों के रख–रखाव की जिम्मेदारी उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की ही होगी।

उपरोक्तानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में यह खाता संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक तथा अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन के अध्यक्ष के संयुक्त नाम से खोला जायेगा तथा तद्नुसार संयुक्त हस्ताक्षर से ही संचालित किया जायेगा। इस प्रकार नामित दोनों ही व्यक्ति अपने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत को प्राप्त करने एवं छात्रों को गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी

होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के निर्धारित अभिलेखों के रख–रखाव की जिम्मेदारी उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की ही होगी।

स्थानीय स्तर पर शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000टी.सी.–3 दिनांक 25.06.2004 द्वारा गठित ग्राम पंचायत एवं वार्ड समिति द्वारा क्रमशः ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में उपरोक्त विद्यालयों में योजना के संचालन का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11 के अशासकीय पत्र संख्या–1683/X-10 दि० 6-8-10 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

11/8/10

(अनिल संत)
सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
6. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव